

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Tehri Garhwal District constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Shri Yugal Kishor Pant I.A.S District Collector Tehri Garhwal. at New Tehri in which application claiming rights in **Narendra Nagar** Block area measuring 0.12 hect for the construction of **33/11 kv sub station at village Gular (chameli)** in Tehsil Narendra Nagar of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; New Tehri

Dated: 3/ Mar/ 2015


District Collector -cum-Chairman

District Tehri Garhwal

New Tehri
(युगल किशोर पन्त)
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

FORM-II

(for projects other than linear project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, New Tehri

No-422/XXVI(2013-14)

Dated-3 Mar 2015

To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.12 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Uttarakhand Power Corporation Ltd (name of user agency) for 33/11 kv substation at village (Gular) Chameli (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of Gular (chameli) village (s) in Narendra Nagar Tehsils.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.12 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure.
- the proposal for such diversion (with full of the project and its implication in vernacular /Local language) have been placed before each concerned Gram sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.
- The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities /processes under the FRA have been carried out and that they given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures if any, having understood the purpose and detail of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of Gular (chameli) villages is enclosed as annexure.
- The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the member of Gram Sabha present.
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it.
- The right of Primitive Tribal Group and Pre-Agricultural Communities where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(c) of the FRA.

Encl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

(गुल किशोर पन्त)

जिलाधिकारी

टिहरी गढ़वाल

UTTARAKHAND POWER CORPORATION LTD.

(उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०)

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
(Govt of Uttarakhand Undertaking)
ELECTRICITY DISTRIBUTION DIVISION TEHRİ
TEHRİ GARIHWAL
TELE. : 01376-233117
FAX NO : 01376-233117
E-Mail :- eddteb@yahoo.com



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
विद्युत वितरण खण्ड टिहरी
टिहरी गढ़वाल
दूरभाष : 01376-233117
फैक्स नं० 01376-233117
E-Mail :- eddteb@yahoo.com

पत्रांक:-1593 वि०वि०ख०टि०/

दिनांक :-16/6/15

33/11 के०वी० उपसंस्थान गुलर(कौडियाला) को जोड़ने हेतु नई लाईन निर्माण की आवश्यकता न होने का प्रमाण पत्र।

नव प्रस्तावित 33/11 के०वी० उपसंस्थान गुलर (कौडियाला) के निर्माण के उपरान्त उक्त उपसंस्थान को पूर्व में निर्मित 33/11 के०वी० तपोवन उपसंस्थान से निकलने वाले 11 के०वी० जलनिगम फीडर को कम्पोजिट मेन (33 के०वी० एवं 11 के०वी०) में परिवर्तित करते हुये उपसंस्थान को जोडा जायेगा।


(शक्ति प्रसाद)

अधिशासी अभियन्ता

परियोजना का नाम :-

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम चमेली (गुल्हर)
तहसील _____, जिला _____

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी के अन्तर्गत ग्राम-गुल्हर में 33/11/80 अनापत्ति
के निर्माण हेतु परियोजना के निर्माण हेतु (0.12) हे० आरक्षित

वन भूमि, _____ हे० सिविल सोयम भूमि..... हे०, वन पंचायत भूमि
_____ हे०) अर्थात् कुल 0.12 हे० वन भूमि का

_____ विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं
वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चमेली (गुल्हर) द्वारा
दिनांक 10-3-2015 को सम्पन्न ग्राम समा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता
एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत
करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के
प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर
आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी
ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी
आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा
है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर
ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम समा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया
/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चमेली (गुल्हर) के
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि VPC प्रयोक्ता एजेन्सी
को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत चमेली
वि० ख० नरेन्द्रनगर (टि० ग०)

ह०/-

सदस्य
क्षेत्र पंचायत बैराई गांव
वि० ख०- नरेन्द्रनगर (टि० ग०)



ग्राम सचिव /
प्रधान

ग्राम

नोट :- ' यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी मूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

पूतम देवी
सदस्य
क्षेत्र पंचायत बैराई गांव
वि० ब० - नरेंद्रनगर (वि० ग०)



दिनांक ...10/2/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ...वमेली-गुल

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	प्रेमचंद सिंह 5/0 श्री चन्दन सिंह	प्रेमचंद सिंह
2	कुमार सिंह 1/0 श्री चन्दन सिंह	कुमार सिंह
3	भगवान सिंह 3/0 श्री भगत सिंह	भगवान सिंह
4	सुरत सिंह 1/0 श्री भगत सिंह	सुरत सिंह
5	रघुवीर सिंह 1/0 श्री भगत सिंह	रघुवीर सिंह
6	गुण सिंह 1/0 श्री भगत सिंह	गुण सिंह
7	गुण सिंह 5/0 श्री भगत सिंह	गुण सिंह
8	सुन्दर सिंह 5/0 श्री भगत सिंह	सुन्दर सिंह
9	वसुधारा सिंह 5/0 श्री भगत सिंह	वसुधारा सिंह
10	सुभाष सिंह 5/0 श्री भगत सिंह	सुभाष सिंह
11	गोपाल सिंह 5/0 श्री भगत सिंह	गोपाल सिंह
12	उत्तम सिंह 5/0 श्री भगत सिंह	उत्तम सिंह
13	श्याम सिंह 5/0 श्री भगत सिंह	श्याम सिंह
14	देव सिंह 5/0 श्री भगत सिंह	देव सिंह
15	देव सिंह 5/0 श्री भगत सिंह	देव सिंह
16	लाल सिंह 5/0 श्री भगत सिंह	लाल सिंह
17	गोपाल सिंह 5/0 श्री भगत सिंह	गोपाल सिंह
18	गोपाल सिंह 5/0 श्री भगत सिंह	गोपाल सिंह
19	गोपाल सिंह 5/0 श्री भगत सिंह	गोपाल सिंह
20	गोपाल सिंह 5/0 श्री भगत सिंह	गोपाल सिंह

पुनर्मिल

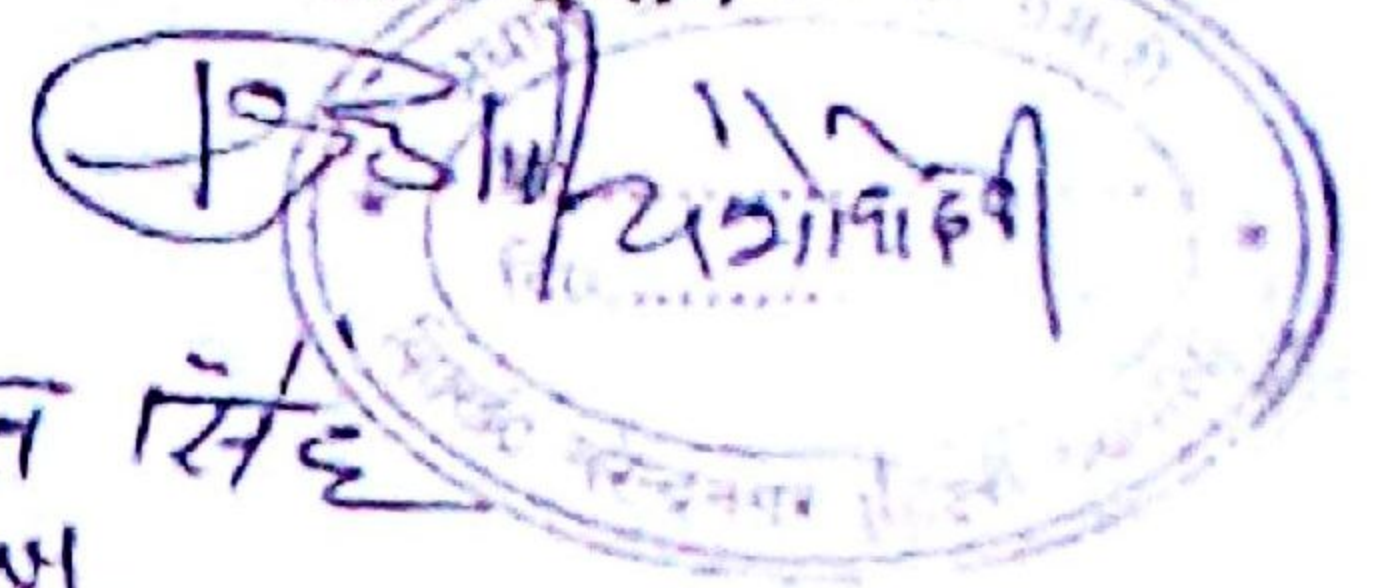
सदस्य

क्षेत्र पंचायत बैराट गांव

वि० ख०- नरेन्द्रनगर (वि०)

ह०/-

ग्राम प्रधान



गोपाल सिंह

...

...

...

...

...

...

...



P-T. O

26- वासुदेव - धर्म सिंह / भगत सिंह

27- सीतल सिंह

28- सुभाष सिंह

29- सुभाष सिंह

30- विवेक सिंह

31- रतन सिंह

...

...

...

...

...

...

प्रपत्र-23.2
परियोजना का नाम :- ग्राम - बूलर में 33/111KV उपस्थान की निर्माण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, नरेन्द्र नगर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के
तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, नरेन्द्र नगर
रू. 437/2002 (अ. 111) - 15
उपखण्ड मुनीकीरेली परिक्षेत्र के अन्तर्गत

भूमि, — हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल - ०-१-२ हे० वन भूमि) का प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील नरेन्द्र नगर) की दिनांक 19-02-2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अनीष कुल सिंह, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री अनीष कुल सिंह अध्यक्ष उपजिलाधिकारी
- 2- श्री सुदीप कुमार उप वनाधिकारी सदस्य
- 3- श्री श. रवि चन्द्र मोहन सहायक सभाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव
- 4- श्री क्षेत्र

5- प्रधान प्रतिनिधि

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

परि योजना हेतु 12 हे० वन भूमि

प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने

क्षेत्र पंचायत बैराई गांव
वि० 40- नरेन्द्रनगर (वि० 110)

हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई गामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुमति दी गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पदीप कुमर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नेन्दु नगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत परियोजना के निर्माण हेतु 0.12 हे० वन भूमि ... प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार
समिति

तहसील-नेन्दु नगर

जनपद ...

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, विहीन शहका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार
समिति

तहसील-नेन्दु नगर

जनपद ...

It is further certified that minutes of 33/11kv S/s at gullar regarding FRA is as following.

Date - 19-2-15

s.no.		Remark
(a)	The complete process for Identification & settlement of rights under the FRA had carried out for the entire 0.12 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultation & meeting of the forest right committee(s) & sub division level committee(s) & district level committee are enclosed annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes & other traditional forest dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed & the nagar palika parishad have given consent to it.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes & other traditional forest dwellers. No objection certificate concerned villages regarding construction of afore said 33/11kv S/s is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized right of primitive tribal groups & pre agricultural communities	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes & other traditional forest dwellers.

Suman
सुमन पुण्डीर
सदस्या जिला पंचायत
47 बडीर पट्टी बोरी
नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल

अक्षय
17/2/15
जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर

बधुमन... पट्टी बोरी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि.डी.रेडो

(सुमन किशोर पन्त)
विभागाधिकारी
टिहरी गढ़वाल